जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा / उपा. / जोन–14 / 2026 / डी– 987 दिनांक 16-6-2026

रियासत इन्फा डवलपर्स प्रा. लि.
जरिये निदेशक सुभाष चन्द सैनी,
पंजीकृत कार्यालय – रियासत टावर,
खसरा नम्बर 688 / 1, रामपुरा रोड,
इस्कॉन मन्दिर के पीछे, सुखिया,
एस.एफ.एस. मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान 302020

विषयः– निजी खातेदारी की योजना रियासत पैराडाईज विस्तार ब्लॉक–ए ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर में 10 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों में से 7.5 प्रतिशत भूखण्डों को रहन मुक्त करने बाबत्।

संदर्भः– आपका प्रार्थना पत्र दिनांक ....के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1675, 7335 / 1670, 7340 / 1668, 7342 / 1677, 7344 / 1679, 1676, 7336 / 1670, 7341 / 1668, 7343 / 1677, 7345 / 1679 कुल किता 10 रकबा 1.43 हैक्टेयर भूमि पर अनुमोदित आवासीय योजना रियासत पैराडाईज विस्तार ब्लॉक–ए में आन्तरिक विकास कार्य के पेटे 10 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों में से 7.5 प्रतिशत भूखण्ड सं. ए–23, ए–27 से ए–30 तक कुल भूखण्ड 05 कुल क्षेत्रफल 518.57 व. मी. (7.5 प्रतिशत) को आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर रहन मुक्त किया जाता है एवं शेष रहे भू. सं. ए–39, ए–40. कुल भूखण्ड 02 कुल क्षेत्रफल 187.03 व.मी. (2.5 प्रतिशत) रख–रखाव अवधि तक रहन में रखे जाते हैं।

उपायुक्त, जोन–14
जयपुर, विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

RajKaj Ref No.:
22542644

Signed by: RAKESH KUMAR, Deputy Commissioner
Date: 2026-06-16 13:34:06 +05:30

राजकाज पत्रावली संख्या JDA/2-14/2025/1504632/16164-8273970 के पैरा संख्या
110-113 / एन अनुसार योजना में आन्तरिक विकास कार्य के पेटे
रहन रखे गये 10.0 प्रतिशत क्षेत्रफल 705.60 व.मी से 7.5 प्रतिशत विकास
कार्यपूर्ण होने पर भूखण्ड संख्या A-23, A-27, A-28, A-29, A-30 कुल
भूखण्ड 5 क्षेत्रफल 518.57 व.मी (7.50 प्रतिशत) को रहन मुक्त किया जाता
है। तथा शेष भूखण्ड संख्या A-39, A-40 कुल क्षेत्रफल 187.03 व.मी (2.50%)
रख रखाव अवधि तक यथावत रहन में रहेगा।।

उप नगर नियोजक
(जोन-14)

29/3/26
उपायुक्त
(जोन-14)

detail-'A'

बीपीसी (एल पी) की समिति की बैठक दिनांक 4.11.2025 मे लिए गए नितिगत निर्णय के क्रम मे योजना की अनुमोदित डीपीआर के अनुसार सुविधा क्षेत्र की भूमि पर प्लानिंग का अंकन detail-'A' पर किया गया।

कनिष्ठ अभियंता
(जोन-14)

03/2/26
उपायुक्त
(जोन-14)

1687
B
11-12-25.

PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"RIYASAT PARADISE EXTENSION BLOCK-A"

IN KHASRA NO.- 1675, 7335/1670, 7340/1668, 7342/1677, 7344/1679,
1676, 7336/1670, 7341/1668, 7343/1677, 7345/1679.
AT VILLAGE :- VATIKA, TEH.- SANGANER, JAIPUR.

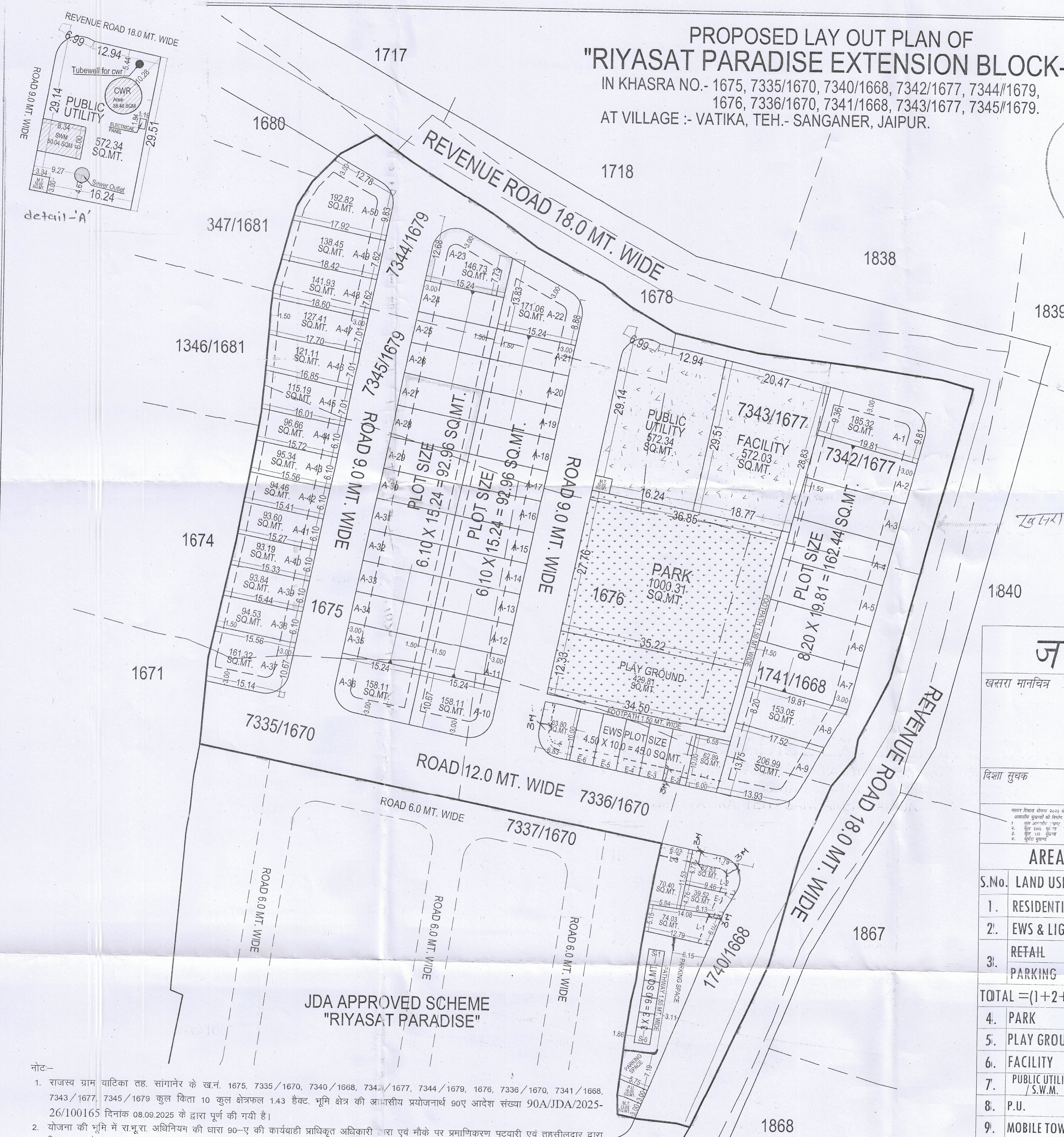

नोट:-

1. राजस्व ग्राम वाटिका तह. सांगानेर के ख.नं. 1675, 7335/1670, 7340/1668, 7342/1677, 7344/1679, 1676, 7336/1670, 7341/1668, 7343/1677, 7345/1679 कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 1.43 हैक्ट. भूमि क्षेत्र की आवासीय प्रयोजनार्थ 90ए आदेश संख्या 90A/JDA/2025-26/100165 दिनांक 08.09.2025 के द्वारा पूर्ण की गयी है।
2. योजना की भूमि में रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा किया गया है।
3. योजना का भू-उपयोग मास्टर प्लान शाखा अनुसार मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना-15 के अनुसार भू-उपयोग यू-2 एच.आई.जेड दर्शित है।
4. योजना **रियासत पैराडाईज विस्तार ब्लॉक**-ए का अनुमोदन बीपीसी(एलपी) की 412वीं बैठक दिनांक 14.10.2025 के एजेण्डा संख्या 21 में किया गया है।
5. योजना मानचित्र टॉउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
6. प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स जविप्रा विनियम 2025 के अनुसार देय होगे।
7. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के बिन्दु सं. 06 में सभी सुविधाओं यथा पानी, बिजली, आदि हेतु मानचित्र ले-आउट मानचित्र एवं डीपीआर के साथ आवेदन के साथ प्रस्तुत करने का उल्लेख है। उक्त सुविधाओं का परीक्षण/प्रमाणित अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किया जावें एवं उक्त अनुमोदित मानचित्र एवं डीपीआर के क्रम में ही कम्पलिशन सर्टिफिकेट में उल्लेख कार्यो की जॉच किया जाना प्रस्तावित है। यदि भविष्य में उक्त डीपीआर एवं मानचित्रों में टाउनशिप पॉलिसी-2024 के क्रम में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है, उक्त स्थिति में टाउनशिप पॉलिसी-2024 के मापदण्ड लागू माने जावेंगे।
8. बीपीसी-एलपी की 414वीं बैठक दिनांक 04.11.2025 के नीतिगत निर्णय-01 के क्रम में मानचित्र जारी होने के उपरान्त राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार योजना की डीपीआर प्राप्त करते हुए जोन में पदस्थापित अभियांत्रिकी शाखा के अधिकारी एवं जोन उपायुक्त द्वारा अनुमोदन उपरान्त योजना में लीजडीड जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।
9. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल का न्यूनतम 10.00 प्रतिशत रखा जाना आवश्यक है। योजना में आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में 10.00 प्रतिशत क्षेत्रफल 660.51 व.मी. के लिए भू.सं. ए-23, ए-27, ए-28, ए-29, ए-30, ए-39, ए-40 कुल भूखण्ड 07 कुल क्षेत्रफल 705.60 वर्गमीटर रहन रखा गया है।
10. राजस्व शाखा द्वारा मानचित्र पर खसरा सुपरइम्पोज किया गया।

I.L.R/PATWARI
(ZONE-14)
(DHARMRAJ)

T.D.R
(ZONE-14)
(SUNIL KUMAR)

D.T.P.
(ZONE-14)
(MUKESH KUMAR)

25/11/25
D.C.
(ZONE-14)
(HEMANT KUMAR)

D.T.P. B.P.C (L.P)
(MAHAVEER SINGH MEENA)

A.C.T.P
B.P.C (L.P)
PREETI GUPTA
Addl. Chief Town Planner,
BPC (LP)

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
101 And 102, 1st Floor, The Prism Tower,
Opp. Police Head Quarters, Lal Kothi,
Tonk Road, Jaipur, Rajasthan-302015
Mob. No :- 9829045031

खसरा सुपर इम्पोज।
पटवारी-14

ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र

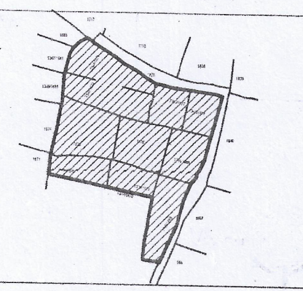

दिशा सुचक

मास्टर विकास योजना २०२१ के अनुसार भू उपयोग
आवासीय भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-
१ कुल आवासीय भूखण्ड = A-50
२. कुल EWS भूखण्ड = E-6
३. कुल LIG भूखण्ड = L-5
४. खुर्दरा भूखण्ड = S-06

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	5952.41	41.63 %
2.	EWS & LIG	598.64	04.18 %
3.	~~RETAIL~~	54.00	01.90 %
	PARKING	218.00	
TOTAL =(1+2+3)		6823.05	47.71 %
4.	PARK	1000.31	07.00 %
5.	PLAY GROUND	429.81	03.00 %
6.	FACILITY	572.03	04.00 %
7.	PUBLIC UTILITY / S.W.M.	572.34	04.00 %
8.	P.U.	16.00	0.11 %
9.	MOBILE TOWER	23.87	0.17 %
10.	REVENUE ROAD	1728.61	12.09 %
11.	ROAD	3133.98	21.92 %
TOTAL =(4 TO 11)		7476.95	52.29 %
SCHEME AREA		14300.00	100.00 %
		01.4300 HECT.	

योजना की भूमी की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमापीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
तहसीलदार

नाम
उपायुक्त जोनः-

बी.पी.सी / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक
की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

योजना का नाम :- PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"RIYASAT PARADISE EXTENSION BLOCK-A"
IN KHASRA NO.- 1675, 7335/1670, 7340/1668, 7342/1677, 7344/1679,
1676, 7336/1670, 7341/1668, 7343/1677, 7345/1679.
AT VILLAGE :- VATIKA, TEH.- SANGANER, JAIPUR.

जौन संख्या = 14
पैमाना :- 1:500

सहायक नगर नियोजक	अति. सहायक नगर नियोजक	वरिष्ट नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONISULTANT :-
Cad Max
PROJECTS (P) LTD.
301, Prism Tower, Opp. Police Headquater,
LalKothi scheme, Tonk Road JAIPUR (RAJ.) 302015
PH.: 0141-4113111, Mob.: +91-9829045031
Website: www.cadmaxpro.com, e-mail: info@cadmaxpro.com